उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी– 47 /वसूली/2019–20 दिनॉकः– 30-9-19

समस्त शाखा /वरि0 प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय– बंधकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय की अनुज्ञा जारी किये जाने के संचालक मण्डल में निहित अधिकारो का प्रतिनिधायन।

कृपया उपरोक्त विषयक बैंक मुख्यालय के परिपत्र सं0–सी0 12/वसूली/17–18 दिनॉक 21.4.2017 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली–1971 के अन्तर्गत नियम सं0–26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत वर्णित कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनॉक 21.12.2018 के पारित प्रस्ताव सं0–03 द्वारा प्रबन्धक श्रेणी–3(वसूली) में प्रतिनिधानित अधिकारों को सहायक महाप्रबन्धक(वसूली) में प्रतिनिधानित किये जाने तथा मार्च 2019 में क्षेत्रीय कार्यालयों को पुर्नस्थापित करते हुये क्षेत्रीय प्रबन्धकों को तैनात करने एवं दि0 25.04.2019 को क्षेत्रीय प्रबन्धकों के निर्धारित किये गये कर्तव्य एवं दायित्व, जिसमें उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली–1971 के अन्तर्गत नियम सं0–26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत वर्णित कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु भी अधिकृत किया गया, के दृष्टिगत उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली–1971 के अन्तर्गत नियम सं0–26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत वर्णित कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनॉक 09.07.2019 के प्रस्ताव सं0–05 द्वारा निम्नानुसार अपने दायित्वों का प्रतिनिधायन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र0 सं0	नियम संख्या	शाखा जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है।	सम्बन्धित अधिकारी जिन्हे अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है।
1.	नियम–26 के अन्तर्गत बंधकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में आपत्ति आमंत्रित करने। एवं नियम–27 के अन्तर्गत उक्त आपत्तियों का निस्तारण करने। एवं नियम–28 के अन्तर्गत बंधकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय की अनुज्ञा जारी करने।	**जनपद स्तरीय शाखाओं के सम्बन्ध में**	**मण्डल के क्षेत्रीय प्रबन्धक**

उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली–1971 के नियम संख्या–26, 27 एवं 28 की कार्यवाही सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें।

बैंक मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्रांक सी0–12/वसूली/17–18 दिनॉक 21.4.2017 एवं सी0–17/वसूली/2013–14 दिनॉक 9.7.2013 उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए।

(अन्द्रा वामसी)आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि –निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
2. समस्त योजनाधिकारी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निजी सचिव सभापति को, माननीय सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. प्रबन्धक (कम्प्यूटर) को समस्त शाखा प्रबन्धको, क्षेत्रीय प्रबन्धको एवं समस्त योजनाधिकारियों को ई0 मेल करने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक